संख्या-15/2015-सा-3-वी0आई0पी0-37 /दस-2015-308/97 टी0सी0

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक : 03 जुलाई, 2015

विषय:- वेतन समिति उ0प्र0 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनॉक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण/ पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-सा-3-1541/दस-2008-308/97 टी0सी0, दिनॉक 07-01-2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में यह निर्देशित किया गया था कि पेंशन/ पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से संबंधित विवरण शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप पत्र-1 पर भरकर उसे प्रमाणित करते हुए संबंधित कोषागार को प्रेषित किया जायेगा।

3- पेंशनर संगठनों द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि दिनॉक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों के प्रारूप पत्र-1 को प्रमाणित किये जाने में संबंधित अधिकारियों द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है जिससे वृद्ध पेंशनरों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रकरण दिनॉक 01-01-2006 के पूर्व के पेंशनरों का है। अब तक दिनॉक 01-01-2006 के पूर्व के प्रकरण शेष नहीं रह जाने चाहिये थे। प्रकरण में गम्भीरता एवं तत्परता अपेक्षित है।

4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश की व्यवस्थानुसार दिनॉक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनरों से संबंधित विवरण शासनादेश दिनॉक 07 जनवरी, 2009 के साथ संलग्न प्रारूप में भरकर उसे प्रमाणित करते हुए संबंधित कोषागारों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

--2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/2015/सा-3-वी0आई0पी0-37(1)/दस-2015-308/97, तददिनॉक

प्रतिलिपि निदेशक, पेंशन एवं समस्त मण्डलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कोषागारों से दिनॉक 01-01-2006 के पूर्व के ऐसे पेंशनरों के संबंध में विभागवार सूचना प्राप्त कर संकलित विवरण वित्त विभाग को उपलब्ध कराये जाये जिनकी पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण अभी तक नहीं किया गया है।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।